बिहार सरकार

गृह विभाग (आरक्षी शाखा)

केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), बिहार

05, हार्डिंग रोड, पटना–800001

(वेबसाइट–https://csbc.bihar.gov.in)

महत्वपूर्ण सूचना

संदर्भ : विज्ञापन संख्या– 01/2026 (सिपाही (सामान्य बंद संवर्ग) पद हेतु)

विषय– शारीरिक जाँच एवं माप परीक्षा (PST) एवं दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना

केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) विज्ञापन संख्या 01/2026 (दिनांक 29.01.2026) के तहत विशेष शाखा, बिहार में सिपाही (सामान्य बंद संवर्ग) में 'सिपाही' के पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा दिनांक **24.06.2026** को आयोजित की गयी थी। लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों को अगले चरण ''शारीरिक जाँच एवं माप परीक्षा'' के लिए चयनित कर परीक्षाफल दिनांक 18.08.2026 को प्रकाशित किया गया है।

<u>शारीरिक जाँच एवं माप परीक्षा समय–सारणी एवं प्रवेश–पत्र :</u>

2. उपर्युक्त चयनित अभ्यर्थियों की शारीरिक जाँच एवं माप परीक्षा (PST) **दिनांक 12 सितम्बर, 2026** को बिहार पशु विज्ञान महाविद्यालय, पटना (Bihar Veterinary College, Patna) का क्रीड़ा मैदान में की जायेगी। अभ्यर्थियों के शारीरिक जाँच एवं माप परीक्षा (PST) के प्रवेश–पत्र की सूचना दिनांक 05/09/2026 समय 00:00 बजे से पर्षद की वेबसाइट **<u>https://csbc.bihar.gov.in</u>** के "Bihar Police" टैब पर उपलब्ध रहेगी, जहाँ से प्रवेश–पत्र डाउनलोड किया जा सकता है। जो अभ्यर्थी किसी कारणवश अपना ई–प्रवेश–पत्र Download नहीं कर सकेंगे, वे दिनांक 10 सितम्बर, 2026 को केन्द्रीय चयन पर्षद के बैक हार्डिंग रोड (सचिवालय हाल्ट के निकट), पटना–800001 स्थित कार्यालय से पूर्वाह्न 10:00 बजे से संध्या 05:00 बजे तक डुप्लिकेट प्रवेश–पत्र अपने खर्च पर प्राप्त कर सकते हैं।

3. सभी अभ्यर्थियों को स्पष्ट किया जाता है कि किसी को भी प्रवेश–पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किया जायेगा।

4. शारीरिक जाँच एवं माप परीक्षा (PST) में ऊँचाई/ सीना माप/ वजन की जाँच एवं माप की जाएगी। पुरुष अभ्यर्थियों के लिए उँचाई एवं सीना की माप तथा महिला अभ्यर्थियों

के लिए उँचाई एवं वजन की माप विहित मापदण्डों के अनुसार की जाएगी। शारीरिक जाँच एवं माप परीक्षा के मापदण्डों के लिए कृपया पूर्व प्रकाशित विज्ञापन का संदर्भ लें।

5. उपर्युक्त जाँच एवं माप के लिए कोई विशेष क्रम निर्धारित नहीं है। ऊँचाई/ सीना माप/ वजन के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप सभी अभ्यर्थियों को सफल होना आवश्यक है। विस्तृत विवरण विज्ञापन में प्रकाशित सूचना के अनुसार है।

6. चयनित अभ्यर्थियों की शारीरिक जाँच एवं माप परीक्षा (PST) की तिथि, समय एवं स्थान की सूचना प्रवेश–पत्र पर दर्ज रहेगी। अभ्यर्थी परीक्षा स्थल पर प्रवेश के समय ही दस्तावेज सत्यापन हेतु निर्दिष्ट अभिलेखों की स्वप्रमाणित छायाप्रति के साथ प्रवेश करेंगे।

7. शारीरिक जाँच एवं माप परीक्षा (PST) में निर्धारित तिथि को प्रत्येक अभ्यर्थी का सम्मिलित होना अनिवार्य है, अन्यथा वे अयोग्य माने जायेंगे और उन्हें दूसरा अवसर नहीं दिया जायेगा।

<u>दस्तावेज सत्यापन :</u>

8. शारीरिक जाँच एवं माप परीक्षा के दिन ही अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की भी जाँच की जाएगी। इसके लिए कोई दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा ।

9. शारीरिक जाँच एवं माप परीक्षा (PST) की तिथि पर ही सभी अभ्यर्थी निर्दिष्ट समय पर अपने प्रवेश–पत्र तथा निम्नांकित मूल प्रमाण–पत्रों तथा उनकी एक सेट स्वप्रमाणित छायाप्रति के साथ दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होंगे :

    i. वैध फोटोयुक्त पहचान–पत्र जैसे आधार कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान–पत्र, आदि।
    ii. जन्म तिथि प्रमाण–पत्र (मैट्रिक/ समकक्ष सर्टिफिकेट एवं अंक प्रमाण–पत्र की मूल प्रति)।
    iii. इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता प्रमाण–पत्र।
    iv. इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा का अंक पत्र।
    v. अनुसूचित जाति (SC)/ अनुसूचित जनजाति (ST) आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए –
        - सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र; एवं
        - स्थायी आवास प्रमाण–पत्र।
    vi. पिछड़ा वर्ग (BC) एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC) आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए–
        - सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र; एवं
        - स्थायी आवास प्रमाण–पत्र; एवं
        - सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र (Non-Creamy Layer Certificate); एवं
        - विगत 1 वर्ष से पूर्व का निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र होने पर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के परिपत्र संख्या 15440 दिनांक 05.12.2017 के अनुसार विहित प्रपत्र (फॉर्म – xviiiB) में घोषणा पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य होगा।
    vii. स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित (FFW) अभ्यर्थियों के लिए –

- जिला पदाधिकारी/ प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत (भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के पोता/ पोती/ नाती/ नतनी होने का) प्रमाण–पत्र (**स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी होने का परिचय पत्र मान्य नही होगा**); एवं
- स्थायी आवास प्रमाण–पत्र।

viii. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के अभ्यर्थियों के लिए –

- सक्षम प्राधिकार द्वारा **वित्तीय वर्ष <u>2024–2025</u>** के लिए बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 2622 दिनांक 26.02.2019 के साथ संलग्न अनुसूची–I (प्रपत्र–I) में निर्गत प्रमाण–पत्र; एवं
- स्थायी आवास प्रमाण–पत्र।

ix. बिहार सरकार के सरकारी सेवक अभ्यर्थियों के लिए –

- सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत बिहार सरकार में कार्यरत ऐसे सरकारी सेवक होने का प्रमाण–पत्र जिन्होंने कट ऑफ तिथि तक नियमित सेवा में न्यूनतम तीन वर्षों की अवधि पूरी कर ली हो।

x. उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज जो राज्य सरकार यथा अद्यतन नीतिगत परिपत्रों अनुसार अभ्यर्थी के दावों के सत्यापन हेतु आवश्यक हों।

<u>नोट</u> –

1. आरक्षण का लाभ मात्र बिहार राज्य के मूल निवासी को ही देय है।
2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग कोटि के आरक्षण का दावा करने वाली महिला अभ्यर्थियों (विवाहित/ अविवाहित) का जाति प्रमाण–पत्र पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से।
3. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण–पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के स्थायी निवास (अंचल) से निर्गत होगा, परंतु इस विवाहित महिला का अपने पिता के स्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा जिससे स्पष्ट हो जाए कि विवेचित विवाहित महिला बिहार राज्य की मूल निवासी है। यही प्रावधान NCL के सम्बन्ध में भी रहेगा।
4. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्र संख्या 11/आ0वि0–12/2026 सा0प्र0 5718 दिनांक 25.03.2026 के आलोक में आय एवं परिसम्पत्ति संबंधी प्रमाण–पत्र निर्गत किए जाने की तिथि से एक वर्ष के लिए वैध माना जाएगा।

10. **दस्तावेज सत्यापन का कार्य PST के दिन ही सम्पादित किया जाएगा।** सभी अभ्यर्थी उनसे सम्बन्धित दस्तावेजों की मूल प्रति के साथ अवश्य भाग लेंगे। **इसके लिए अलग से समय नहीं दिया जाएगा और न ही अवधि विस्तार का अनुरोध मान्य होगा।** निर्धारित तिथि एवं समय पर वांछित दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर पर्षद तदनुरूप निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा।
11. शारीरिक जाँच एवं माप परीक्षा स्थल में बिना प्रवेश–पत्र के किसी भी परिस्थिति में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

<u>सामान्य निर्देश :</u>

12. शारीरिक जाँच एवं माप परीक्षा से पूर्व सभी अभ्यर्थियों को शारीरिक/ मानसिक रूप से स्वस्थ होने तथा इनके द्वारा किसी भी प्रकार के उत्तेजक/ मादक/ प्रतिबंधित दवाओं का सेवन न करने का घोषणा पत्र देना होगा।

13. शारीरिक जाँच एवं माप परीक्षा तथा अभिलेख संवीक्षा आदि, किसी भी प्रक्रिया में समय विस्तार का अनुरोध किसी भी परिस्थिति (यथा– पारिवारिक, निजी, चिकित्सीय, अस्थि भंग, गर्भावस्था आदि) में मान्य नहीं होगा।

14. सभी अभ्यर्थियों को विज्ञापन संख्या–01/2026 में वर्णित सभी शर्तो / प्रावधानों का पूर्ण रूप से पालन करना अनिवार्य होगा । अर्हता या अन्य किसी आधार पर किसी भी चरण में अपात्र पाए जाने पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

15. दलालों से सावधान रहें और ऐसे संदिग्धों के संबंध में पुलिस को सूचित करें।

ह0/–

अध्यक्ष

केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती),

बिहार

ज्ञापांक 42 /के0च0प0(सू0)

संचिका संख्या –08/के0च0प0 (परीक्षा शाखा) 26/2025

केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती), बिहार

05, हार्डिंग रोड, पटना–800001

दिनांक 29/08/2026